



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-26022026-270522  
CG-RJ-E-26022026-270522

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 984]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 984]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 23 फरवरी, 2026

का.आ. 1028(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) के उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या 3176 का.आ. 3246 (अ) तारीख 16 जुलाई 2025 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (II), तारीख 16 जुलाई 2025 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में कोटा – मथुरा सेक्शन के मध्य बूंदी जिले में समपार संख्या 118 (चड़ी) पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचारपत्रों, अर्थात् “द टाइम्स ऑफ इंडिया” (अंग्रेजी) तारीख 21 जुलाई 2025 और “राजस्थान पत्रिका” & “दैनिक भास्कर” (हिंदी) तारीख 20 जुलाई 2025 को प्रकाशित किया गया था; और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किये गए थे;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कि जायेगी;

यह और कि केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी |

### अनुसूची

राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में कोटा – मथुरा सेक्शन के मध्य बूंदी जिले में समपार संख्या 118 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य की विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रण की जाने वाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य:	राजस्थान			जिला :	बूंदी
गाँव:	चडी			तालुका :	केशोरायपाटन
क्रमांक	सर्वे न.	भूमि का प्रकार	भूमि का उपयोग	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग (हेक्टेयर)	भूमि स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1.	680/1	सरकारी	नहरी II	0.0078	1.) सत्यनारायण पुत्र सूरजमल, हिस्सा-पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार
2.	677	सरकारी	गे. मु. ड्रेन	0.0094	1.) सिंचाई विभाग, हिस्सा- पूर्ण
3.	675	निजी	नहरी II	0.0722	1.) किशनलाल पुत्र बाला, हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार
4.	755	सरकारी	गे. मु. ड्रेन	0.0106	1.) सिंचाई विभाग, हिस्सा- पूर्ण
5.	674	सरकारी	गे. मु. ड्रेन	0.2435	1.) सिंचाई विभाग, हिस्सा- पूर्ण
6.	673	सरकारी	गे. मु. नहर	0.0933	1.) कोटा विकास प्राधिकरण कोटा हिस्सा- पूर्ण
7.	777/867	निजी	नहरी II	0.1846	1.) गणेश पुत्र हरनाथ, हिस्सा पूर्ण जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार
8.	778	सरकारी	गे. मु. रास्ता	0.0516	1.) कोटा विकास प्राधिकरण कोटा हिस्सा- पूर्ण
9.	790	सरकारी	गे. मु. रास्ता	0.0063	1.) कोटा विकास प्राधिकरण कोटा हिस्सा- पूर्ण
10.	793	निजी	बरानी I	0.2959	1.) हेमंत गर्ग पत्नी राजेन्द्र हिस्सा-159/1175 जाति महाजन मकान संख्या-0, कॉलोनी के पाटन, क्षेत्र/स्थान के पाटन, शहर के पाटन, पिन कोड 323601, ज़िला बूंदी राज्य- राजस्थान खातेदार

					2.) हेमलताबजाज पत्नी हरिद्रास हिस्सा-1016/1175 जाति- महाजन सा.वार्ड न.12 के. पाटन खातेदार
11.	794	सरकारी	गे. मु. रास्ता	0.0039	1.) कोटा विकास प्राधिकरण कोटा हिस्सा- पूर्ण
12.	971/795	निजी	नहरी II	0.0537	1.) रमेशचन्द्र पुत्र बजरंगलाल हिस्सा-पूर्ण जाति-ब्राह्मन सा. देह खातेदार
13.	973/795	निजी	नहरी II	0.2540	1.) बद्रीलाल पुत्र बजरंगलाल, हिस्सा-पूर्ण जाति-ब्राह्मन सा. देह खातेदार
14.	805	सरकारी	गे. मु. सड़क	0.0582	1.) महकमा PWD हिस्सा- पूर्ण संस्था
15.	679	निजी	नहरी II	0.0037	1.) त्रिलोक गौतम पुत्र जगन्नाथ, हिस्सा- पूर्ण जाति- ब्राह्मन सा. देह खातेदार
16.	1018/ 679	निजी	नहरी II	0.0091	1.) राकेश शर्मा पुत्र जगन्नाथ, हिस्सा-पूर्ण जाति-ब्राह्मन सा. देह खातेदार
17.	1019/ 679	निजी	नहरी II	0.0062	1.) त्रिलोक गौतम पुत्र जगन्नाथ, हिस्सा पूर्ण जाति- ब्राह्मन सा. देह खातेदार
18.	762	सरकारी	गे. मु. नहर	0.0928	1.) सिंचाई विभाग, हिस्सा पूर्ण
19.	672	सरकारी	गे. मु. ड्रेन	0.0068	1.) सिंचाई विभाग, हिस्सा पूर्ण

[कम्प्यूटर न. 260401/फा. सं. पमरे-कोटा0बीआरजीएल(जीसीबीआर)/6/2024-सीईआरएसडब्ल्यू]

सौरभ मिश्र, मुख्य परियोजना प्रबंधक

## MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

### NOTIFICATION

Kota, the 23rd February, 2026

**S.O. 1028(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (West Central Railway), number 3176 S.O. 3246(E) dated 16th July, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 16th July, 2025 and issued under the sub-section(1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and the Railways (Amendment) ACT, 2008 (No. 11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance management and operation of a Special Railway Project namely, Kota – Mathura section in Bundi District Construction of Road Over Bridge on LC No. 118 (Village-Chadi) Project in District Bundi in the State of Rajasthan;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, "THE TIMES OF INDIA" (English), dated the 21th of July 2025 and "RAJSTHAN PATRIKA" & DAINIK BHASKAR" (Hindi) dated the 20th of July 2025 under the sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received by the Competent Authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Central Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within, for the Special Railway Project namely: Kota – Mathura section in Bundi District Construction of Road Over Bridge on LC No. 118 in District Bundi in the State of Rajasthan.

State :	Rajasthan			District :	Bundi
Village :	Chadi			Taluka :	Keshoraipatan
Sr. No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of the Land (Hectare)	Name of Landowner/Interested Person
1.	680/1	Private	Nahri II	0.0078	1.) Satyanarayana S/O Surajmal Part-Full, Caste-Meena Sa. Deh Account holder
2.	677	Government	Gay. Mu. Drain	0.0094	1.) Irrigation Department, Part- Full
3.	675	Private	Nahri II	0.0722	1.) Kishanlaal S/O Baala Part- Full, Caste-Meena Sa. Deh Account holder
4.	755	Government	Gay. Mu. Drain	0.0106	1.) Irrigation Department Part- Full
5.	674	Government	Gay. Mu. Drain	0.2435	1.) Irrigation Department Part- Full
6.	673	Government	Gay. Mu. Nahar	0.0933	1.) Kota development Authority Kota, Part- Full
7.	777/867	Private	Nahri II	0.1846	1.) Ganesh S/O Harnath Part- Full, Caste-Kumhar Sa. Deh Account holder
8.	778	Government	Gay. Mu. Rasta	0.0516	1.) Kota development Authority Kota, Part- Full
9.	790	Government	Gay. Mu. Rasta	0.0063	1.) Kota development Authority Kota, Part- Full
10.	793	Private	Barani I	0.2959	1.) Hemant Garg W/O Rajendra Part-159/1175, Caste-Mahajan, House no-O colony Keshorai Patan, PIN Code-323601, Dist-Bundi, State-Rajasthan Account holder 2.) Hemlatabajaj W/O Haridas Part-1016/1175 Caste-Mahajan, Sa. ward no-12 Keshorai Patan, Account holder
11.	794	Government	Gay. Mu. Rasta	0.0039	1.) Kota development Authority Kota, Part- Full
12.	971/795	Private	Nahri II	0.0537	1.) Badrilaal S/O Bajranglaal Part-Full, Caste-Brahamn Sa. Deh Account holder
13.	973/795	Private	Nahri II	0.2540	1.) Badrilaal S/O Bajranglaal Part-Full, Caste-Brahamn Sa. Deh Account holder
14.	805	Government	Gay. Mu. Road	0.0582	1.) PWD Department, Part- Full
15.	679	Private	Nahri II	0.0037	1.) Trilok Gautam S/O Jagannath Part- Full, Caste- Brahamn Sa. Deh Account holder
16.	1018/ 679	Private	Nahri II	0.0091	1.) Rakesh Sharma S/O Jagannath Part- Full, Caste-Brahamn Sa. Deh Account holder
17.	1019/ 679	Private	Nahri II	0.0062	1.) Trilok Gautam S/O Jagannath Part- Full, Caste-Brahamn Sa. Deh Account holder
18.	762	Government	Gay. Mu. Nahar	0.0928	1.) Irrigation Department, Part- Full
19.	672	Government	Gay. Mu. Drain	0.0068	1.) Irrigation Department, Part- Full

[Computer No. 260401/F. No. E- WCR-KOTA0BRGL(GCBBR)/6/2024-CERSW]

SAURABH MISRA, Chief Project Manager